बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 71

अवास्तविक दर

केंद्रीय वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वित्त को लेकर एक बार फिर आमने-सामने हैं। ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संस्थानों में से एक है। इसमें 17 करोड़ से अधिक खाते और 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। इस वर्ष फरवरी में ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय संस्था यानी उसके न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड ने यह तय किया था कि वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफओ 8.65 फीसदी ब्याज देगा। यह वर्ष 2017-18 के 8.55 फीसदी ब्याज से अधिक है। यह दर अन्य पेंशन योजनाओं मसलन सार्वजनिक भविष्य निधि आदि से अधिक है। परंतु वित्त मंत्रालय ने अब ईपीएफओ से अधिशेष फंड की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछे हैं। निश्चित तौर पर ब्याज दरों पर कोई भी निर्णय सीधे-सीधे अधिशेष को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ऐसी रिपोर्ट हैं कि 8.65 फीसदी ब्याज दर के साथ अनुमानित अधिशेष 152 करोड़ रुपये होगा, परंतु यदि ईपीएफओ ब्याज दरों को 8.55 फीसदी के स्तर पर अपरिवर्तित रखता है तो अधिशेष राशि करीब 771 करोड़ रुपये रहेगी।

वित्त मंत्रालय ईपीएफओ की वास्तविक वित्तीय स्थिति को लेकर भी काफी चिंतित है। गत सप्ताह उसने श्रम मंत्रालय से पूछा था कि क्या ईपीएफओ के पास इतना धन है कि वह वर्ष 2018-19 के लिए बढ़ी ब्याज दर चुका सके। यह प्रश्न उठाया गया था कि आखिर क्यों, 'अधिशेष' (ईपीएफओ के पिछले वर्ष ब्याज को चुकाने के बाद बची राशि) को केवल अनुमानित बताया गया है न कि वास्तविक। एक बात मामले को और अधिक जटिल बनाती है और वह ये कि ईपीएफओ ने ऐसी फर्मों में निवेश किया है जो आगे चलकर फंसी हुई या कर्जदार साबित हो सकती हैं। इसका एक उदाहरण इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) की प्रतिभूतियों के रूप में लिया गया जोखिम भी है। फरवरी में संसद के समक्ष प्रस्तुत श्रम मामलों की स्थायी समिति की 57वीं रिपोर्ट के मुताबिक आईएलऐंडएफएस में ईपीएफओ का अनुमानित निवेश 575 करोड़ रुपये था। उस वक्त स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को सचेत किया था कि अगर यह निवेश फंसा तो ईपीएफओ के लाभार्थियों को नुकसान उठाना होगा। सच तो यह है कि अगर नुकसान की भरपाई ईपीएफओ के अधिशेष से नहीं होती है तो वित्त मंत्रालय को दखल देकर कमी की भरपाई करनी होगी।

ऐसे में वित्त मंत्रालय का श्रम मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगना सही है और ईपीएफओ को जवाब देना चाहिए। परंतु बड़ा मुद्दा यह है कि क्या ईपीएफओ उस दर पर ब्याज देना जारी रख सकता है जो बाजार के साथ तालमेल में नहीं है और अस्थायी भी है। ईपीएफओ जिस प्रकार अतीत में उच्च भुगतान करता आया है, वह अस्पष्ट रहा है और उसकी आय के अनुरूप भी नहीं रहा है। यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या ईपीएफओ के पास यह प्रबंधन क्षमता है कि वह इतनी अधिक धनराशि का प्रबंधन कर सके। ईपीएफओ के फंड का करीब आधा फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश किया हुआ है। अगर इसे परिपक्वता तक बरकरार रखा जाए तो यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। शेष राशि बैंक डेट, वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट संस्थानों में निवेश की गई है। एक छोटा हिस्सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की सहायता से प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है। इसके लिए पेशेवर फंड प्रबंधकों की आवश्यकता है जिनमें तमाम जोखिम भरे परिसंपत्ति वर्ग में भारी पूंजी निवेश करने की क्षमता हो। यह निवेश इस प्रकार होना चाहिए कि जोखिम कम से कम हो और प्रतिफल अधिक से अधिक। मौजूदा दौर बाजार में अस्थिरता का है। ऐसे में यह कमी ईपीएफओ को भारी पड़ सकती है।

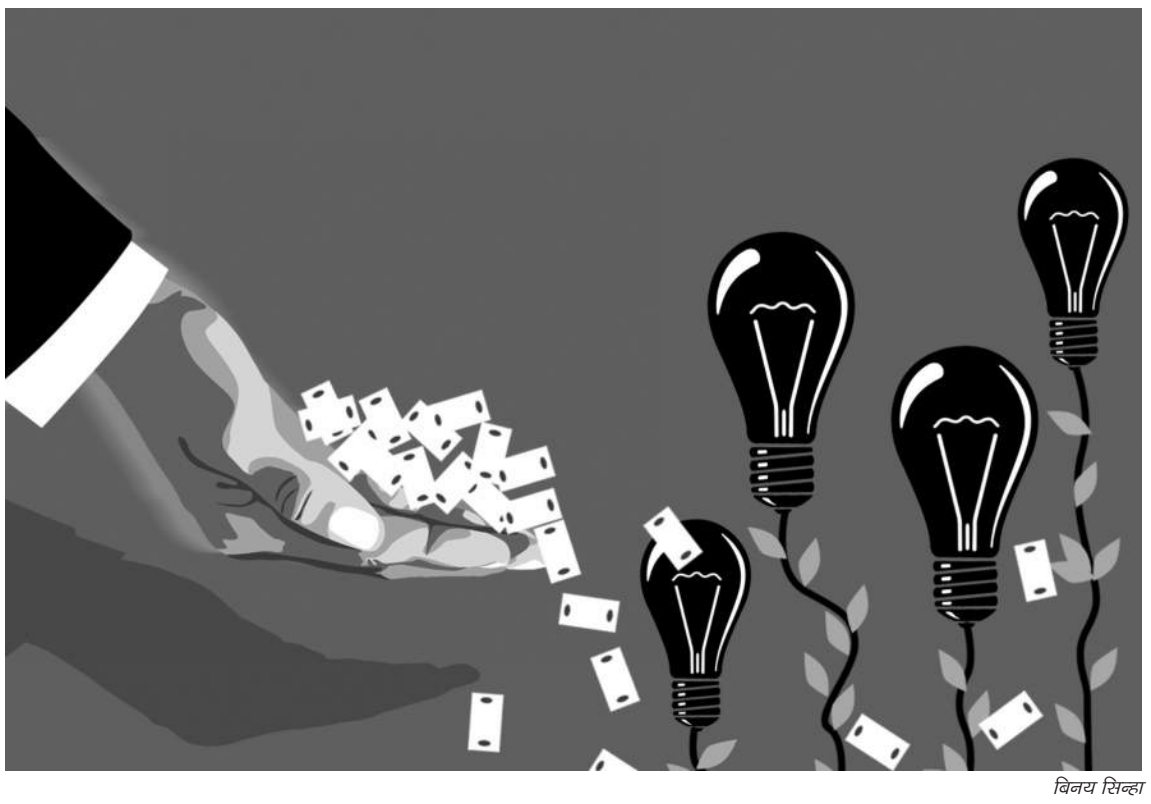

बिनय सिन्हा

स्टार्टअप के प्रयासों पर नए सिरे से जोर

देश में बहुत बड़ी संख्या में एंजेल निवेशक तैयार करने की अवश्यकता है। ऐसा करके ही देश में स्टार्टअप को नए सिरे से गति प्रदान की जा सकती है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **अजित बालाकृष्णन**

देश के राजनेता और नौकरशाह इन दिनों 'स्टार्टअप' शब्द को उतने ही उत्साह से बुदबुदाते हैं, जिस उत्साह से एक जमाने में लोग एक दूसरे को 'राम-राम' किया करते थे। उनको उम्मीद है कि वे जिस स्टार्टअप भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वह किसी न किसी तरह तमाम युवाओं को अपना अनुयायी बना लेंगे और उनका ध्यान रोजगार जैसी चीजों से हटा देंगे ताकि वे उन पर पर्याप्त रोजगार नहीं तैयार करने का आरोप न लगाएं।

शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस उत्साही प्रार्थना से विराम लें और यह समझने का प्रयास करें कि स्टार्टअप का पूरा खेल दरअसल है क्या? क्या इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी भी नए शुरू किए गए छोटे कारोबार के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल केवल कंप्यूटर से संबंधित नए कारोबारों के लिए ही किया जाता है? यानी किसी रेस्तरां या नई किराना दुकान या रियल एस्टेट एजेंट का कारोबार स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता? जब कोई कारोबारी परिवार अपने बेटे या बेटी को आर्थिक मदद कर उसे नया कारोबार स्थापित करने में सहायता करता है तो क्या उसे स्टार्टअप कहा जा सकता है? क्या कोई मशीन की दुकान जो अनुबंध के आधार पर मशीन का काम करती हो, उसे स्टार्टअप माना जा सकता है? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या केवल चुनिंदा प्रकार के नए कारोबारों को ही स्टार्टअप कहा जा सकता है और क्या सभी नए कारोबार उस श्रेणी में नहीं आते?

इन सवालों का जवाब देने की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ और मूलभूत सवाल करने होंगे: उद्यमी (जो स्टार्टअप चलाते हैं) पैदा होते हैं या बनते हैं? क्या सफल उद्यमी ज्यादातर 20 से 30 की उम्र के होते हैं? क्या ऊंची शैक्षणिक डिग्री स्टार्टअप उद्यमियों की सहायता करती है या उनकी राह में बाधा खड़ी करती है? एक अनिवासी भारतीय उद्यमी विवेक वाधवा, जिन्होंने कई वर्षों तक इन मुद्दों पर अध्ययन किया है, वह अमेरिकी उद्यमियों के विषय में कहते हैं, 'सिलिकन वैली के उद्यमियों में से 52 फीसदी अपने परिवार में कारोबार करने वाले शुरुआती लोग थे।' वह आगे मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन और जॉन कुम का उदाहरण देते हुए कहते हैं इनमें से कोई भी कारोबारी पृष्ठभूमि से नहीं आया। उनके माता-पिता दंत चिकित्सक, शिक्षाविद, अधिवक्ता, फैक्टरी कामगार अथवा पादरी थे। वह यह भी कहते हैं कि आम धारणा के तहत जहां माना जाता है कि 20 से 30 की अवस्था के लोग सफलतापूर्वक स्टार्टअप चलाते हैं, वहीं मार्क बेनिऑफ ने जब सेल्सफोर्सडॉटकॉम की स्थापना की तो वह 35 वर्ष के थे। रीड हॉफमैन ने जब लिंक्डइन की स्थापना की तब वह 36 वर्ष के थे। ऐपल कंपनी में स्टीव जॉब्स के सबसे अहम अविष्कार आईमैक, आईट्यून, आईपॉड, आईफोन और आईपैड तब सामने आए जब वह 45 की उम्र के हो चुके थे।

हमारे देश में स्टार्टअप उद्यमियों को जिस सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है, वह है शुरुआती स्तर पर पूंजी मुहैया कराने वालों यानी एंजल इन्वेस्टर्स की कमी। ये वे लोग होते हैं जो किसी भी स्टार्टअप को एकदम आरंभ में 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की पूंजी देते हैं ताकि उद्यमी अपने उत्पाद का प्रादर्श बना सके और चुनिंदा शुरुआती ग्राहकों के बीच उसका परीक्षण कर सके।

ऐसी फंडिंग उस वक्त और बेहतर तरीके से काम करती है जब यह ऐसे व्यक्ति की ओर से आए जो युवा उद्यमियों को उनके शुरुआती ग्राहकों से जोड़ सके। हमारे कर कानून जिस प्रकार तैयार किए गए हैं, उन्हें देखते हुए यह बेहद मुश्किल है कि ऐंजल निवेशक स्टार्टअप के शुरुआती घाटे की भरपाई अपनी आय से करे। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 (2ए) में मामूली बदलाव किया जा सकता है। यह धारा सीमित दायित्व साझेदारी वाली फर्म पर लागू होती है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कोई व्यापारिक संगठन नहीं है जो इसके लिए लॉबीइंग कर सके। ऐसा इसलिए कि अधिकांश व्यापारिक संस्थानों पर ऐसे पारिवारिक कारोबारों का दबदबा रहता है जिन्हें स्टार्टअप फंड की आवश्यकता नहीं होती। उनका परिवार ही उन्हें धन मुहैया करा देता है।

यहां तक कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के फंडिंग संबंधी दस्तावेज बताते हैं कि एनएसडीसी ऋण के रूप में फंडिंग मुहैया कराने को प्राथमिकता देगा। वह यह भी कहता है कि प्रवर्तक का योगदान निवेश आवश्यकता के 25 फीसदी के बराबर होना चाहिए। इतना ही नहीं मूल शुल्क स्थगन तीन वर्ष का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी तरह का शुल्क स्थगन या ब्याज नहीं दिया जाना चाहिए। इसे इस तथ्य के साथ पढ़ें कि 90 फीसदी स्टार्टअप नाकाम हो जाते हैं। जाहिर है किसी उद्यम के लिए इन शर्तों पर ऋण लेना आत्मघाती है। स्टार्टअप के बारे में एक अन्य पहलू जिसकी हमारे नीतिकार अक्सर अनदेखी करते हैं, वह यह है कि परिभाषा के आधार पर तो यह उभरती तकनीक का क्षेत्र है। यानी स्टार्टअप ऐसी तकनीक से संबंधित नहीं होते जो लंबे समय से अस्तित्व में हो और जो जिंस की तरह आसानी से उपलब्ध हो। बावजूद अगर आप केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे कौशल को देखेंगे तो उनसे यह स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी कौशल आज स्टार्टअप का आधार नहीं बन सकता है। आज किसी भी स्टार्टअप की अवधारणा काफी हद तक डेटा विज्ञान और मशीन लर्निंग से संबद्ध है।

हमने शुरुआत में एक प्रश्न किया कि क्या स्टार्टअप चलाना रेस्तरां खोलने, किराना दुकान चलाने या अचल संपत्ति कारोबार से अलग है? इसका उत्तर यह है कि स्टार्टअप का अर्थ ही है कोई ऐसा उद्यम जिसके पीछे के मूल कारोबारी विचार को उन्नत तकनीक, कंप्यूटर, इंटरनेट, डेटा विज्ञान, मशीन शिक्षण, जैव प्रौद्योगिकी आदि का समर्थन मिल रहा हो और इनकी सहायता से वह आम भारतीयों की रोजमर्रा की समस्याओं के निराकरण का एकदम नया तरीका तलाश कर लाया हो।

अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे स्टार्टअप उद्यमी ज्यादातर 30 वर्ष के आसपास की उम्र के होंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 की उम्र के शुरुआती पड़ाव पर। बहुत संभव है इनके माता-पिता चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षाविद आदि हों और उनके परिवार में पहले से कोई कारोबारी माहौल नहीं हो। ऐसे उद्यम शुरू करने के लिए जरूरी पूंजी एंजेल निवेशकों की जोखिम पूंजी से आती है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम कर किफायत वाले एंजेल निवेशक तैयार करें और उनके पास इस क्षेत्र में निवेश की विशेषज्ञता हो। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हजारों एंजेल निवेशक स्टार्टअप उद्यमी बनने की राह पर हों।

जीएसटी राजस्व में साझेदारी का अनुचित फॉर्मूला

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

अप्रैल 2019 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के आंकड़ों को देखते हुए तमाम टीकाकार यह मानने लगे हैं कि जुलाई 2017 में इस कर के आगमन के बाद के महीनों से जिस राजस्व कमी की बात कही जा रही है, वह शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। कुछ अधिकारियों ने तो आशा जताई है कि चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में एकत्रित 1.14 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी 2019-20 के अंतरिम लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेगा।

यह धारणा हकीकत के कितनी करीब है? सरकार का लक्ष्य हासिल करने का अनुमान मूल रूप से एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के तहत जुटाए गए राजस्व के आवंटन पर आधारित है। यह आवंटन सीजीएसटी के तहत केंद्र और एसजीएसटी के तहत राज्यों को किया गया है। आईजीएसटी वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं तथा हर प्रकार के आयात की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगता है।

अब अप्रैल 2019 में 54,733 करोड़ रुपये आईजीएसटी से आए जबकि 21,163 करोड़ रुपये सीजीएसटी से आए। करीब 28,801 करोड़ रुपये एसजीएसटी और 9,168 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से आए। इस तरह कुल संग्रह 1.14 लाख करोड़ रुपये हुआ।

आईजीएसटी के अधीन एकत्रित 54,733 करोड़ रुपये में से सरकार ने 20,370 करोड़ रुपये यानी करीब 37 प्रतिशत राशि सीजीएसटी और 15,975 करोड़ रुपये अथवा 29 फीसदी राशि एसजीएसटी को आवंटित की। इसके अलावा आईजीएसटी के अधीन संग्रहित 12,000 करोड़ रुपये की राशि केंद्र और राज्यों के मध्य साझा की गई। इस निस्तारण के बाद आईजीएसटी के पास 6,388 करोड़ रुपये बचे। इसे केंद्र के पास रहना चाहिए। ऐसे में सीजीएसटी के लिए आईजीएसटी आवंटन बढ़कर 32,758 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 21,975 करोड़ रुपये हो गया।

केंद्र ने अप्रैल में अपने लिए आईजीएसटी संग्रह का 60 फीसदी रखा जबकि राज्यों को 40 फीसदी मिला। यह जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद के कुछ महीनों की तुलना में साझेदारी फॉर्मूले में अहम बदलाव दर्शाता है। 2017-18 के आठ महीनों में और अप्रैल 2018 में राज्यों को आईजीएसटी में अहम हिस्सेदारी मिली। मई 2018 में एसजीएसटी का हिस्सा बढ़ने लगा। अक्टूबर में आईजीएसटी में सीजीएसटी का हिस्सा केवल 52 फीसदी था तो एसजीएसटी का हिस्सा 48 फीसदी था।

आईजीएसटी में सीजीएसटी की हिस्सेदारी एसजीएसटी से थोड़ी अधिक होना तार्किक है। इसलिए कि अधिकांश करदाता पहले अपनी आईजीएसटी क्रेडिट का समायोजन सीजीएसटी के समक्ष करते हैं और उसके बाद एसजीएसटी के समक्ष। ऐसे में अनावंटित आईजीएसटी स्वाभाविक रूप से सीजीएसटी से अधिक और एसजीएसटी से कम होगा लेकिन अप्रैल 2019 में आईजीएसटी आवंटन सीजीएसटी के पक्ष में झुका हुआ नजर आया। संभव है केंद्र ने समझदारी दिखाते हुए अब ऐसी आवंटन व्यवस्था का अनुकरण शुरू किया हो जहां आवंटन बढ़ाकर राजस्व में इजाफा होता हो। जाहिर है, राज्य इससे नाखुश होंगे और चुनाव के बाद वे शिकायत कर सकते हैं।

आईजीएसटी में 60 फीसदी हिस्सेदारी के साथ जीएसटी में केंद्र का संग्रह अप्रैल 2019 में 53,921 करोड़ होने का अनुमान था। अगर 2019-20 में 6.6 लाख करोड़ रुपये के सीजीएसटी और आईजीएसटी लक्ष्य को हासिल करना है तो औसत मासिक संग्रह करीब 55,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। यानी अप्रैल महीने में अनुमान से 1,079 करोड़ रुपये का कम राजस्व प्राप्त हुआ है। परंतु एक बार आईजीएसटी को राज्यों के साथ साझा करने का फॉर्मूला बदलने के बाद अप्रैल का जीएसटी संग्रह उतना आकर्षक नहीं दिख रहा। कर संग्रह सालाना लक्ष्य हासिल करने के मुताबिक है या नहीं, इसका आकलन इस बात पर निर्भर करता है कि जीएसटी तंत्र कैसे काम करता है। किसी भी माह जीएसटी के अधीन संग्रहित राजस्व का एक हिस्सा पिछले महीने के लेनदेन से संबंधित होता है जबकि कुछ संग्रह के महीने से। परंतु पिछले महीने के लेनदेन से संबंधित राजस्व का हिस्सा हमेशा वित्त वर्ष के पहले महीने के राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी रखता है। ऐसा इसलिए कि लेनदेन आमतौर पर वित्त वर्ष के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में होता है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह में इजाफा दिखना सामान्य है। अप्रैल 2018 में जीएसटी राजस्व 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा और पहली बार एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सका। मार्च 2018 में 12 फीसदी से अधिक उछाल के साथ यह 92,167 करोड़ रुपये रहा। परंतु मई 2018 में कुल जीएसटी संग्रह केवल 94,016 करोड़ रुपये रहा जो कि नौ फीसदी कम था। ऐसे में अप्रैल 2019 में माह दर माह आधार पर 7.5 फीसदी की वृद्धि के बाद अगर मई 2019 में गिरावट आती है तो चौंकने की कोई बात नहीं। अप्रैल 2019 के संग्रह से सरकार को एक अलग वजह से राहत मिलेगी। जीएसटी राजस्व अपेक्षाकृत उच्च मासिक संग्रह के साथ स्थिर हुआ है। अगस्त 2017 से मार्च 2018 के बीच मासिक संग्रह करीब 84,000 करोड़ रुपये से 96,000 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2018-19 में मासिक संग्रह चार अवसरों पर एक लाख करोड़ का स्तर पार कर गया। इस अवधि में जीएसटी परिषद ने दो बार कई वस्तुओं की दर में कटौती की। एक बार नवंबर 2017 में हुआ और दूसरी बार दिसंबर 2018 में।

बावजूद एसजीएसटी के तहत मासिक संग्रह दिसंबर 2018 के 22,000 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2019 में 28,800 करोड़ रुपये हो गया। सीजीएसटी में भी काफी बढ़ोतरी हुई। दिसंबर 2018 के करीब 16,400 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 2019 में यह 21,100 करोड़ रुपये हो गया। आईजीएसटी संग्रह का 60:40 का सीजीएसटी के पक्ष वाला फॉर्मूला केंद्र को जीएसटी का वार्षिक लक्ष्य पाने में मदद कर रहा है। राज्य इसे शायद उचित नहीं मानें। एक बार इसमें बदलाव के बाद केंद्र का अपना जीएसटी संग्रह भी शायद उतना उत्साहवर्धक न रहे जितना वह अभी प्रतीत हो रहा है।

कानाफूसी

डूबता जहाज

उत्तराखंड की सरकार ने दो वर्ष पहले टिहरी झील में एक तैरते हुए रेस्तरां की शुरुआत की थी ताकि वहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों इस रेस्तरां का एक हिस्सा डूब गया। इसके डूबने की वजह तो किसी को पता नहीं लेकिन स्थानीय प्रशासन उसे दोबारा सतह पर लाने के लिए प्रयास कर रहा है। मरीना नामक यह रेस्तरां क्षेत्र में अपनी तरह का पहला था और शुरुआती दौर में लोगों के आकर्षण का केंद्र भी था। हालांकि शुरुआत के बाद कई महीनों तक यह इस्तेमाल में नहीं रहा क्योंकि राज्य सरकार की आशा के प्रतिकूल कोई स्थानीय टूर ऑपरेटर इसे किराये पर लेने या इसका परिचालन करने आगे नहीं आया। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह मजाक शुरू कर दिया है कि कहीं यह डूबता जहाज राज्य सरकार की तकदीर का आईना तो नहीं है।

भगवान के सहारे

ऐसा प्रतीत होता है कि भोपाल लोकसभा सीट के दो शीर्ष दावेदार चुनावी जीत हासिल करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप के भरोसे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार मंदिरों और तमाम दूसरे पवित्र स्थानों का भ्रमण करने में लगे हुए हैं। बीते डेढ़ महीने में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 80 से अधिक मंदिरों में जा चुके हैं जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी भाजपा नेता ठाकुर 20 दिनों में 20 से अधिक मंदिरों में जा चुकी हैं। धार्मिक जोश इतना अधिक है कि बुधवार को जब सिंह ने एक रोड शो में शिरकत की तो उनके साथ ढेर सारे धार्मिक नेता मौजूद थे। कुछ लोगों ने तो दावा किया रोड शो की सुरक्षा कर रही महिला पुलिस कर्मियों ने भी भगवा दुपट्टे ओढ़ रखे थे। हालांकि प्रदेश की पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि दुपट्टे में मौजूद लोग स्वयंसेवक थे न कि पुलिस बल के सदस्य।

आपका पक्ष

महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के हों उपाय

हर साल महाराष्ट्र के कई क्षेत्र सूखे की चपेट में आ जाते हैं। पानी की कमी के साथ मवेशियों के चारे की कमी भी हो जाती है। पिछले साल महाराष्ट्र के कई जिलों में टैंकरों से पानी भेजकर जलापूर्ति की गई थी। हर साल कुछ जगहों पर सूखे की मार से लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। इस कारण राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रही है। राज्य में सूखे की मार अब मवेशियों पर पड़ने लगी है। मवेशियों क लिए चारे की किल्लत होती जा रही है। चारे की कमी के कारण लोग अपने मवेशी खुले छोड़ रहे हैं जिससे मवेशी खुद चारे का इंतजाम कर सके। हालांकि राज्य सरकार मवेशियों के लिए छावनी बना रही है। चुनाव आयोग ने भी सूखे को देखते हुए कुछ छूट प्रदान की है। इसके अलावा राज्य को केंद्र सरकार से भी मदद मिल रही है।

केंद्र ने सूखा निवारण के लिए अब तक करीब 4 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। किसानों के खाते में करीब 4 हजार करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार को अब सूखे से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर करना चाहिए। इसके लिए दूसरे जिलों या स्थानों से टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जरूरत है। प्रदेश के महानगरों के अलावा छोटे कस्बे तथा गांवों में जलापूर्ति के लिए टैंकर भेजे जाने चाहिए। पिछली बार भीषण सूखे के कारण ट्रेन से पानी भेजा गया था। अत: सरकार को पिछले साल पड़े सूखे से सबक लेकर इससे निपटने की तैयारी अभी से करना चाहिए।

केंद्र और राज्य सरकारों को सूखे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए

आकाश कुमार, मुंबई

अमेरिका-चीन कारोबारी जंग

इस समाचार पत्र में प्रकाशित 'फिर छिड़ी कारोबारी जंग' आलेख पढ़ा। इस लेख में अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी कारोबारी जंग से वैश्विक स्तर पर तथा भारत को नफा नुकसान के बारे में चर्चा की गई है। लेख के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन से होने वाले करीब 20,000 करोड़ डॉलर मूल्य के आयात पर शुल्क दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 10 फीसदी से 25 फीसदी कर देंगे। इसके अतिरिक्त 32,500 करोड़ डॉलर मूल्य के अतिरिक्त आयात पर भी जल्दी ही शुल्क दर को बढ़ाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। ट्रंप लंबे समय से कहते रहे हैं कि चीन से होने वाले आयात पर शुल्क दर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अब चीन को इन दरों के चलते अमेरिकी राजकोष में सैकड़ों करोड़ डॉलर की राशि जमा करनी पड़ रही है। चीन एक बड़ा उत्पादक देश भी है और एक बड़ा बाजार भी है। चीन से उत्पादित वस्तुएं अगर निर्यात नहीं होगी तो चीन को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका शुल्क बढ़ाकर ऐसा ही झटका चीन को दे रहा है। आज भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की भरमार है। खाने से लेकर घरों में सजाने तथा धार्मिक कार्यों में उपयोग होने वाले उत्पाद भी चीन बना रहा है। अगर अमेरिका चीन के उत्पादों पर शुल्क बढ़ा रहा है तो यह भारत के लिए भी एक अवसर हो सकता है। भारत को इस मामले में कूटनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है कि कैसे वह इस मौके को भुनाए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।